

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-वा0क0अ0-2020-21//
प्रेषक,

1358

// वाणिज्य कर

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक// 25 अगस्त, 2020

विषय:- वाणिज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2020-21 में घटित रिक्तियों पर पदोन्नति फोरगो के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि चयन वर्ष 2019-20 की विभागीय प्रोन्नति कोटे की वाणिज्य कर अधिकारी के पद की रिक्तियों के सापेक्ष चयनित किये गये लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों को आदेश संख्या-481 दिनांक 24-06-2020 तथा आदेश संख्या-655 दिनांक 03-07-2020 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, जिसमें कतिपय कार्मिकों द्वारा पदोन्नति आदेश जारी होने के उपरान्त पदोन्नति फोरगो किये जाने के कारण रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका है।

चयन वर्ष 2020-21 की विभागीय प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष भी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है जिसमें लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की दिनांक 09-11-2015 को जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार सामान्य श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-1329 तक के स्थायी कार्मिकों को पात्रता सूची में रखा जा सकता है।

अतः वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित चयन हेतु उपरोक्त ज्येष्ठता क्रमांक तक के कार्मिकों में से जो कार्मिक आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत है, उनमें से यदि कोई कार्मिक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तो उनसे इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त कर लें कि चयन वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तावित वाणिज्य कर अधिकारी के पद हेतु डी0पी0सी0 में वह पदोन्नति का इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होंगे, ताकि तदनुसार उसे डी0पी0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें चयन किये जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक के चयन हेतु मामले में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके।

अंश

✓

25/08/20

966
25/08/20

कृपया उपरोक्त वांछित सहमति पत्र प्रत्येक दशा में विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।


भवदीय,

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक// उक्त।

प्रतिलिपि:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त पत्र को कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।



ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।